

फा.सं.20/15/2013-धातु-II

भारत सरकार

खान मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 21 नवम्बर, 2013

सेवा में,

श्री राधेश्याम सेन,
2 क 36, शक्ति नगर,
हिरणमगरी सेक्टर-5,
उदयपुर - 313002
राजस्थान ।


विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हिंदुस्तान जिंक लि. संबंधी मांगी गई सूचना ।

महोदय,

श्री राधेश्याम सेन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपने अपने पत्र दिनांक 15.10.13 एवं 28.10.13 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के कर्मचारियों के अधिकार के शेर 3.5% की जो सूचना मांगी है उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो अपील प्राधिकारी (श्री एस.बी.डोभल, उपसचिव, खान मंत्रालय, कमरा सं.314, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली) के समक्ष पत्र की प्राप्ति की तारीख सं. 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

भवदीय


(सजय कुमार)

अनुभाग अधिकारी

संलग्न : उपरोक्त

प्रतिलिपि प्रेषित :

✓ पीआई सेल, खान मंत्रालय को यूओ 2/177/2013-पीआई, दिनांक 12.11.2013

सं. 20/15/2013-वातु-॥

भारत सरकार
खान मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दि 9.12.2013

सेवा में

श्री राधे श्याम सेन
राम-श्याम भवन
2 क 36, शान्ति नगर
हिरण मगरी, से-5
उदयपुर - 313002

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत
सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 28/11/2013 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय द्वारा पहले ही दिनांक 21.11.2013 को सूचना भेजी जा चुकी है। सूचना की प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

भवदीय

निकुमार
9/12/13

(संजय कुमार)

अनुभाग अधिकारी | केन्द्रीय लोक
सूचना अधिकारी

प्रति :- श्री आई सेल, खान मंत्रालय को इनके पत्र सं 2/177/2013
श्री आई दिनांक 12.11.2013 के संदर्भ में।

2013

17700
17700

मंत्रालय
नई दिल्ली

सेवासे, श्रीमान, ACP 10
श्रीमान सुधन आधिकारिक
केन्द्रीय स्थान मन्त्रालय
भारत - सरकार दिल्ली-1
R.T.I-05 से सुधना हेतु "दूसरा समर्पण पत्र"

= प्रसंग = आपका पत्र दिनांक 22/10/013 के सहर्ष में
= विषय = दिल्ली स्थान जिक्र लि 36 थपुर् के कर्मचारियों के
आधिकार के 3.5% शॉयर विल 2011 की जानकारी प्राप्त

Ref 21177/2013-RTI
dt. 12/11/13

मान्यवर
मेने दिनांक 15/10/013 को R.T.I 2005 के तहत
दिल्ली स्थान जिक्र के कर्मचारियों के आधिकार के शॉयर
को 3.5% को कर्मचारियों में विल 2011 कराने के लिए
इसके राष्ट्रीय अधिसू, एकर दिल्ली स्थान जिक्र कर्मचारियों
कम्पाउण्डेशन की मांग पर सरकार में विषय विषय
लिखा है। उसकी जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक R.T.I
05 के तहत जानकारी चाहते, आपने लिखा का पालन
डोट को 11 वेतन सुगतां लेखा आधिकारियों के नाक को।

मेने दिनांक 28/10/013 को केन्द्रीय स्थान मन्त्रालय
के वेतन सुगतां एव लेखा आधिकारियों के नाक R\$ 10/-
का पोस्टल ऑर्डर No 19 F 55 76 76 वा 15/10/013

RTI
(SO
Met-II)
6/12/2013

वा 28/10/013 को मंत्र प्रार्थना पत्र गेजा दिया था कि माह
गुजर गया है। इसलिए मेरे को R.T.I Act 05
के तहत अब तक कोई भी जानकारी नहीं
मिली है।
कृपया कोर्ट से सुधना के पत्र को

28/11/13.
28/11/13
M.No 9460822819

सेवा में
श्रीमान ए. सी. पी. आई.
श्वान मन्गालप
भारत - सरकार
न्यू दिल्ली - 1

औरसे -
राष्ट्रीय श्रम संघ
2मं-श्याम भवन, 2कं.36
शान्ति नगर हिरोनगर-5
उदयपुर 21004भाग
M.No 9460822819

प्रसंग = आपका पत्र No 1/44/2013 पी. आई वर 22/10/13

विषय = R.T.I. Act 05 से जानकारी सेपेठे हेतु
स्मरण = पत्र


मान्यवर

आपके उपरोक्त पत्र के आदेशा अनुसार मेरे
दिनांक 28/11/13 को वेतन एवं लेखा अधिकारी श्वान
मन्गालप, के नाम कारलीव पोस्टल कोड 50-
No 19F 557676 वर 15-10-013 R# 10] = का प्रार्थना
पत्र शुल्क सेनादिपाठ। कृपया मेरे को R.T.I. Act 05
के तहत यह पुचना सेपेठे का कल करे को -

"हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर के 3.5% शेयर कार्यालयों
के अधिकार के वर्ष 2002 से पडे हैं। उक्त अधिकारों में वितरण
कराके के लिए" राष्ट्रीय पइंके के अध्यक्ष, भाग संगठन हिन्दुस्तान
जिंक कार्यालय कम्पाण कोडेशन उदयपुर 6 वर्षों से प्रयाग
2 हादी उपरि आपके मन्गालप श्वान की पत्रों में सिमरी
सेपेठे की जानकारी R.T.I. Act 05 के तहत सेपेठे का
कल करे। - धन्यवाद

नोट = उपरोक्त जानकारी हेतु यदि कोई जानकारी मिलेगी तो
सेपेठे को ही मैं सेपेठे का तैयार हूँ।
आपके पत्र की प्रतिक्रिया
इसके सेना का पत्र की प्रतिक्रिया

RTI
SO
(Met-II)
Ref No 2/177/2013-PI
dt. 12/11/13


अध्यक्ष
(सेना प्रमुख)

Dr. G. Sanjeeva Reddy

Member of Parliament (Rajya Sabha)

President

INDIAN NATIONAL TRADE UNION CONGRESS



SHRAMIK KENDRA
4, BHAI VEER SINGH MARG,
NEW DELHI - 110001
Phone: 2336-0550
Fax: 2336-4244

22.10.2008

Respected Dr. Manmohan Singh ji,

While disinvesting the Hindustan Zinc Ltd. the Govt. of India has signed the agreement to give 5% of the shares to its employees but so far the only 1.5% shares to the employees.

I shall be grateful if you could kindly intervene in the matter and take some positive steps to allot the remaining 3.5% shares to the Hindustan Zinc Ltd (Raj) employees, including retired or took VRS, who served as permanent employees from the year 1967 to 2002.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Dr. G. Sanjeeva Reddy)

Dr. Manmohan Singh,
Hon'ble Prime Minister,
Govt. of India,
New Delhi

22/10/08
Dr. G. Sanjeeva Reddy
President
INTUC

Hyd. Office - 6/B, LIGH, Barkaipura Hyderabad - 500 027, Tel: 040-27564706 Mob: 994811148

Dr. Manmohan Singh
श्रीमान मन्मोहन सिंह जी

Dr. G. Sanjeeva Reddy
श्रीमान ग. संजैवा रेड्डी